जनपद नैनीताल में हल्द्वानी–रामनगर मोटर मार्ग के कि0मी0 54 में कोसी नदी पर लोक निजी सहभागिता (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) प्रणाली के तहत निर्माणाधीन प्रीस्ट्रेस कंकीट सेतु के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में दिनांक 23.02.2018 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्तः–

बैठक में उपस्थिति :–

1. श्री ओमप्रकाश, अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री रंजीत सिन्हा, प्रभारी सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखड शासन।
3. श्री एल0एन0 पंत, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री आर0पी0 भट्ट, तकनीकी सलाहकार, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री सुमन्ता कौशिक शर्मा, पी0पी0पी0 एक्सपर्ट, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री आर0सी पुरोहित, मुख्य अभियन्ता स्तर–1(मुख्यालय), लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. श्री बी0सी0 बिनवाल, मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, हल्द्वानी।
8. श्री डी0एस0 नबियाल, अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, नैनीताल।
9. सुश्री मीना भट्ट, अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, रामनगर।
10. श्री वी0एस0 रामाराजू, अध्यक्ष, वशिष्ठा कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, हैदराबाद।

बैठक के प्रारम्भ में अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 मंत्रीमंडल के निर्णय दिनांक 24 मई, 2011 के अनुपालन में शासनादेश संख्या 4700/III(2)/11–24(प्रा0आ0)/2006 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 01.09.2011 द्वारा PPP–वार्षिकी (Annuity) मोड में जनपद नैनीताल में हल्द्वानी–रामनगर मोटर मार्ग के किमी0 54 में कोसी नदी पर प्रीस्ट्रेस कंक्रीट सेतु के निर्माण लोक निजी सहभागिता(पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशीप प्रणाली) के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त है। कार्य का विवरण/शर्ते निम्नलिखित हैः–

(क) रामनगर से हल्द्वानी तथा नैनीताल जाने वाले मार्ग पर कोसी नदी पर प्रस्तावित 360 मी0 पुल, 410 मी0 पहुंच मार्ग, 217 मी0 कैनाल को ढकने एवं लगभग 88 मी0 के 04 लघु पुलों के निर्माण की कार्य योजना को लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत Annuity Basis पर बनाया जायेगा।

(ख) प्रस्तावित परियोजना के संबंध में तैयार एवं संलग्न Draft Concession Agreement (DCA) तथा Request for Proposal (RFP) के अनुसार क्रियान्वयन किया जायेगा।

(ग) प्रस्तावित परियोजना का निर्माण एवं रख–रखाव लोक निजी सहभागी द्वारा किया जायेग तथा पथकर संग्रह राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(घ) निर्माण–संचालन–हस्तान्तरण वार्षिकी (Annuity) मोड़ में कार्य करने वाले सहभागी को राज्य सरकार द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के तीसरे वर्ष से प्रतिवर्ष 25वें वर्ष तक रू0 3.51 करोड अथवा न्यूनतम निविदादाता द्वारा उल्लिखित धनराशि, जो भी कम हो, नियमानुसार देय होगी।

(ड) उक्त परियोजना की क्रियान्वयन तथा संचालन अवधि में समय–समय पर प्रगति की समीक्षा किये जाने हेतु राज्य सरकार (लो0नि0वि0) द्वारा एक स्टीयरिंग ग्रुप का गठन किया जायेगा।

(च) कार्य का विवरण निम्नलिखित हैः–

अनुमानित लागत	:–	रू0 26.00 करोड
अनुबन्ध संख्या	:–	06/SE-2/2011–12 Date 21.10.2011
कन्सेसनर का नाम	:–	मै0 वशिष्ठा कन्सट्रक्शन प्रा0लि0 हैदराबाद

पी0पी0पी0 मोड का प्रकार	:–	Annuity Model
Annuity की धनराशि	:–	रू0 3.30 करोड
कन्सेसन पिरियड	:–	25 वर्ष
कन्सेसन एग्रीमेन्ट	:–	21.10.2011
कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	:–	08.02.2012
Schedule Project Completion Date	:–	07.08.2013
1st Extended Date of Completion	:–	21.09.2014
Extended Completion Date of Project	:–	Appplied

2– अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 16 जनवरी, 2014 में कार्य पूर्ण करने हेतु पहली समयावृद्धि 30 सितम्बर, 2014 तक दी गयी। इसके पश्चात परियोजना की समीक्षा किये जाने हेतु राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की दिनांक 24 अगस्त, 2015, दिनांक 01 दिसम्बर, 2015, दिनांक 26.10.2016 एवं दिनांक 08.11.2017 को शासन स्तर पर इस कार्य की समीक्षा की गयी है। कार्य विभिन्न कारणों से आतिथि तक अपूर्ण है।

3– बैठक में मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा प्रोजेक्ट में विलम्ब के निम्नलिखित कारणों से अवगत कराया गया है:–

(क) वर्ष 2012 में कोसी नदी से Stone Bolder एवं Mineral Aggregate के चुगान में प्रतिबन्ध होने के कारण निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता होने के कारण कार्य बाधित रहा। कोसी नदी से खनन/चुगान की अनुमति, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड सरकार को फरवरी, 2013 में प्रदान की गयी।

(ख) प्रश्नगत् निर्माण कार्य के अन्तर्गत कुल 08 No. Cross Drain Structure, मार्ग निर्माण के साथ प्रस्तावित है। Structure 6 के अन्तर्गत कोसी नदी मे 360 मी0 स्पान के मुख्य सेतु का निर्माण किया जाना है, जिसमें Well Foundation का कार्य प्रस्तावित है। Well Sinking के दौरान वास्तविक रूप से कार्य करते समय Foundation में Hard Strata तथा Clay आने से Well Sinking के कार्य में अत्यधिक समस्या रही जिससे अपेक्षित प्रगति नहीं आ सकी।

4– मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 हल्द्वानी के द्वारा प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्यों/बिन्दुओं से अवगत कराया गया:–

(क) पूर्व में अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल के पत्रांक 5270/403 सी0 दिनांक 04.10.2016 द्वारा कन्सेसनर एग्रीमेन्ट के क्लॉज 17.2 A-(i) के तहत Preliminary notice जारी किया गया था। जिसके प्रतिउत्तर में कन्सेसनर द्वारा अपने पत्रांक दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 से कार्य करने में आ रही कठिनाईयों का उल्लेख करते हुए इस प्रोजेक्ट को पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया था। दिनाक 26.10.2016 को शासन स्तर पर सचिव, लो0नि0वि0 की अध्यक्षता में हुयी बैठक में भी कन्सेसनर द्वारा अपनी कठिनाई का उल्लेख करते हुए प्रथम Annuity के रूप में उन्हे आवश्यक बैंक गारंटी के विरूद्ध भुगतान करने का अनुरोध किया गया जिस पर सचिव, लो0नि0वि0 द्वारा प्रकरण शासन को सन्दर्भित करने के निर्देश दिये गये।

(ख) दिनांक 26.10.2016 को शासन स्तर पर हुयी बैठक के क्रम में मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, हल्द्वानी द्वारा अपने पत्र दिनांक 17.11.2016 के द्वारा प्रकरण शासन स्तर पर विचार कर यथोचित कार्यवाही करने हेतु सन्दर्भित किया गया। पुन: दिनांक 08.11.2017 को भी शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0 की अध्यक्षता में बैठक हुयी जिसमें इस बात पर सहमति हुयी कि वित्त विभाग /पी.पी.पी. सेल से विचार विमर्श कर बैंक गारंटी के विरूद्ध प्रथम Annuity के भुगतान पर विचार किया जा सकता है। जिस पर कन्सेसनर प्रथम Annuity due होने तक 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करेगा।

(ग) वर्तमान में कन्सेसनर द्वारा लगभग 70 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया। यदि इस स्तर पर कन्सेसनर का एग्रीमेन्ट टर्मिनेट किया जाता है तो Substitution Aggrement के तहत Lender के स्तर पर Selectee के माध्यम से कार्य कराये जाने का प्रावधान है। जिसके कारण प्रकरण Litigation में जाने के साथ साथ कार्य में विलम्ब एवं लागत में वृद्धि होने की सम्भावना है।

(घ) कन्सैसनर को प्रथम Annuity एडवांस भुगतान करने की सुरक्षा के तहत बैंक गारण्टी तथा निर्धारित Interest लेने के अतिरिक्त बैंक में ESCROW ACCOUNT खोला जायेगा क्योंकि ज्वाईंट एकाउंट राजकीय विभाग एवं निजी एंजेसी के मध्य खोला जाना बैंकिंग सिस्टम में वर्तमान में सम्भव नहीं है।

5– बैठक में Concessionaire द्वारा अवगत कराया है कि उनके द्वारा लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष कार्य पूर्ण करने हेतु उन्हें Cash Flow Shortage की समस्या आ रही है जिस हेतु उन्हें एक Advance Annuity की धनराशि अर्थात 3.30 करोड़ उपलब्ध करायी जाय ताकि इस धनराशि के सापेक्ष बैंक गारण्टी तथा बैंक की दरों पर Interest देने को तैयार हैं जब तक कि उस धनराशि का समायोजन Annuity Payments के अन्तर्गत Complete न हो जाय।

6– उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मुख्य सचिव महोदय विभागीय अधिकारियों के साथ गहन विचार विमर्श के उपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गयाः–

(क) प्रथम Annuity रू0 3.30 करोड़ एडवांस के रूप में कन्सेसनर को प्रदान किये जाने के एवज में कन्सेसनर दी गयी धनराशि का 110 प्रतिशत धनराशि की बैंक गारण्टी उपलब्ध करायेगा।

(ख) प्रथम Annuity की धनराशि पर कन्सेसनर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से क्लॉज 4.2.1, 4.2.2 के अनुसार प्रथम Annuity Due होने तक भुगतान करेगा।

(ग) कन्सेसनर प्रथम Annuity के एडवांस में भुगतान होने की तिथि से छह माह के अन्दर कार्य पूरा करेगा। यदि छह माह के अन्दर कार्य पूरा नहीं होता तो प्रथम Annuity की धनराशि पर कन्सेसनर 20 प्रतिशत(दोगुनी) वार्षिक की दर से ब्याज देगा।

(घ) प्रथम अग्रिम Annuity की कार्यहित में सुरक्षा हेतु ESCROW ACCOUNT खोला जायेगा। जिसका नियंत्रण लोक निर्माण विभाग के स्तर पर अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल का होगा।

(च) यह सहमति देते समय यह ध्यान रखा जायगा कि सरकार को किसी भी प्रकार की धनहानि न हो।

(छ) चूंकि कार्य की स्वीकृति पी0पी0पी0(Annuity) मोड पर मा0 मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर प्राप्त हुयी थी। अतः प्रकरण को मा0 मंत्रिमण्डल के सम्मुख अनुमोदन हेतु आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
लोक निर्माण अनुभाग–2
संख्या–966/ III(2)–17–24(प्रा03म0)/2006
देहरादूनः दिनांक 01 मार्च 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
4. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
5. बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यगण।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव